कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड नं0–1, लो0नि0वि0, अलीगढ़

पत्रांकः /

दिनांक :

सेवा में,

जिला रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट अधिकारी,
अलीगढ

विषय :– **प्रार्थना पत्र मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन, लिमिटेड, ग्राम–जारौठ, खसरा नं0–78, तहसील–इगलास, जिला–अलीगढ़ वावत अलीगढ़–राया–मथुरा मार्ग (रा0मा0सं0–80) के कि0मी0 12.000 के चैनेज 11.465 मीटर पर नवीन रिटेल आऊट लेट (एच0पी0सी0एल0) के स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– अपर जिलाधिकारी प्रशासन अलीगढ़ के पत्रांक शून्य दिनांक 02.11.2015 एवं जिलापूर्ति अधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक 1037 / जि0पू0अ0 / एन0ओ0सी0 / 15 दिनांक 29.10.2015 एवं मुख्य अभियन्ता, आगरा क्षेत्र, लो0नि0वि0, आगरा के पत्रांक 100 / 116सी0–आ0क्षे0 / 15 दिनांक 05.01.2016 एवं अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, अलीगढ़ के पृष्ठांकन सं0–120 / 4सी0(क) दिनांक 06.01.2016

उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन की जाती है –

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र यू0पी0रो0सा0लै0क0ए0 के अनुसार बने है।
2. प्रार्थी ने निर्माण कार्य बिना जिलाधिकारी की अनुमति प्राप्त किये अभी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।
3. प्रार्थी के विरूद्ध यू0पी0रो0सा0लै0क0ए0 के अन्तर्गत कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका, नोटिफाइड एरिया, टाऊन एरिया के बाहर है।
5. प्रस्तावित निर्माण स्थल सड़का का वर्गीकरण (कैटेगरी ऑफ रोड) राज्य मार्ग सं0–80 है।
6. प्रस्तावित स्थल ओपिन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है।
7. प्रस्तावित स्थल अरबन औद्यौगिक क्षेत्र नहीं है।
8. प्रार्थी को प्रस्तावित स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से 75.00 ' (पचत्तहर फीट) की दूरी पर नवीन रिटेल आउटलेट (एच0पी0सी0एल0) के निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है एवं निम्न प्रतिबन्धों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की संस्तुति की जाती है।

(क) प्रार्थी को प्रस्तावित स्थल के सामने पानी निकासी हेतु नाली / पुलिया का निर्माण स्वयं अपने ही व्यय से करांना होगा।
(ख) प्रार्थी द्वारा पुलिया का निर्माण / नाली का निर्माण करने से पहले विभाग से लीज एग्रीमेन्ट कराना होगा जिसका भू–स्वामित्व इस विभाग को होगा।
(ग) मार्ग के मध्य बिन्दु से बफर स्ट्रिप की दूरी 22.86 मी0।
(घ) मार्ग के मध्य बिन्दु से प्रथम रिटेल आउटलेट की दूरी 34.86 मी0।
(ङ) मार्ग के मध्य बिन्दु से द्वितीय रिटेल आउटलेट की दूरी 43.86 मी0।
(च) मार्ग के मध्य बिन्दु से भवन निर्माण की दूरी 50.36 मी0।

संलग्नक– 1. मानचित्र दो प्रतियों में
एवं अन्य अभिलेख।

(जे0जी0 पाण्डेय)
अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0,
अलीगढ़

पत्रांकः 61 / 9C

प्रतिलिपि–

दिनांकः 07/01/16

1. जिला पूर्ति अधिकारी अलीगढ़ के पत्रांक 1037 / जि0पू0अ0 / एन0ओ0सी0 / 15 दिनांक 29.10.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता द्वितीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (प्रा0) को।

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0